


2.1.19

वकील वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिंगह से तलब की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में बताया कि विपक्षीयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।

सुगना

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर मनन किया। ब्यवहित में वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया द्वारा अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है।

पत्रावली कैबल नुम्बर होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भांडल जिला मीलवाड़ा